बजट आवंटन–छात्रावास निर्माण योजना (केन्द्र पोषित)

प्रेषक,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

13 अंकों का कोड – 422503277010101
अनुदान संख्या–79

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय, मुख्यालय,
लखनऊ।

पत्रांक: 2246 / पि0व0क0 / के0पूर्व0 / 2017–18, दिनांक: 10 जनवरी, 2018

विषय: वित्तीय वर्ष 2015–16 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राईवेट कालेजों के 02 छात्रावासों हेतु द्वितीय किश्त के केन्द्रांश की अवमुक्ति।

महोदय,

पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 के स्वीकृत छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय हेतु कुल प्राविधानित धनराशि रू0 5266.29 लाख में से पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या–22 / 2017 / 104भा0स0 / 64–2–2017–1(24) / 2013 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में अंकित शासनादेशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावासों के निर्माणार्थ वित्तीय वर्ष 2015–16 के 03 छात्रावासों हेतु द्वितीय किस्त रू0 1,26,03,000.00 (रूपया एक करोड़ छब्बीस लाख तीन हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कुल 02 छात्रावास ओ0बी0सी0 ब्वायज हास्टल इन मोतीचन्द पॉलीटेक्निक इंस्टीटयूट, कुरमौटा, पोस्ट–बांसडीला पाण्डेय, जनपद कुशीनगर हेतु धनराशि रू0 42.01 लाख एवं ओ0बी0सी0 ब्वायज हास्टल इन रामबचन यादव महाविद्यालय, खुरासो, तहसील फूलपुर, जनपद–आजमगढ़ हेतु रू0 42.01 लाख कुल धनराशि रू0 84.02 लाख (रूपया चौरासी लाख दो हजार मात्र) की स्वीकृति संलग्न शासनादेश के अनुसार व्यय करने हेतु संलग्न विवरण के अनुसार निम्नवत् आवंटित किया जाता है:–

उपर्युक्त आवंटन एतद्द्वारा आपको निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत किया जा रहा है:–

1. आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय शासन के संलग्न शासनादेश संख्या–22 / 2017 / 104भा0स0 / 64–2–2017–1(24) / 2013 दिनांक 15 दिसम्बर, 2017 में अंकित शासनादेशों / शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
2. उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–79 के अधीन लेखाशीर्षक "4225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण–277–शिक्षा–01–केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें–0101–पिछड़े वर्ग के छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना (के.50 / रा.50–के.+रा.) (जिला योजना)–24–वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

E:\24.03.2014\12354\Book-1\DUBEY\Awantan 15-16.doc

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों एवं मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
4. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
7. वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 03.08.2017 में उल्लिखित निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्जेज लिया जायेगा।
9. आगणन में वर्णित लेबरसेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त करके ही निर्माण कार्य किया जायेगा।
10. प्रायोजना प्रस्ताव एवं आगणन में कोटेशन/बाजार दरों पर आधारित कार्यमदों पर व्यय न्यूनतम आवश्यकता एवं सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत सुनिश्चित करायें। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
11. प्रस्ताव का परीक्षण आगणन लागत में प्रस्तावित कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन, जैसे नया कार्य बनाना एवं अन्य विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, यथावश्यकता भारत सरकार/व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-21 पर अंकित है।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

(अनिल कुमार सागर)
निदेशक।

पृ0सं0 2246/पि0व0क0/के0पूर्व0/2017-18, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3/वित्त (बजट) अनुभाग-1/3, उ0प्र0 शासन।
5. छात्रावास प्रभारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण मुख्यालय।
6. बिल लिपिक मुख्यालय।

(सुषमा रानी)
वित्त नियंत्रक।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2017-2018
आवंटन दिनांक-22/12/2017

प्रेषण संख्या:- .

आवंटन आदेश संख्या:- 002-CONSTRUCTION OF HOSTELS

अनुदान संख्या:- 79 समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)(वित्तीय वर्ष 2017-2018 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4225 - अनुसूचित जातियों ,अनुसूचित जनजातियो तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय(आयोजनेत्तर-मतदेय)
03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण
277 - शिक्षा
01 -
01 - पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण की योजना (के. 50/रा.50-के.+ रा.) (जिला योजना)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4701-निदेशक , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	8402000 23174000	8402000 23174000
	योग	वर्तमान प्रगामी	8402000 23174000	8402000 23174000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चौरासी लाख दो हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ इकत्तीस लाख चौहत्तर हजार

(सुषमा रानी)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी